

[भारत के राजपत्र के भाग-II खंड-3 उप-खंड(ii) में प्रकाशनार्थ]

सं. पीए-1/34/2018
नवंबर, 2018

नई दिल्ली, 30

अधिसूचना

उत्प्रवासन अधिनियम 1983 (1983 का 31) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अमृत लुगून को पदभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् 30.11.2018 (अपराहन) से अगले आदेशों तक विदेश मंत्रालय में उत्प्रवासी महा संरक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

(मिजीतो विनितो)

अवर सचिव (एफएसपी एवं कैंडर)

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय

रिंग रोड, मायापुरी

नई दिल्ली-110064

ई-मेल: may-gippr@nic.in

प्रति प्रेषित:

1. प्रधान लेखा नियंत्रक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. सचिव (सीपीवी एवं ओआईए)/सचिव (पूर्व)/सचिव (ईआर)/सचिव (पश्चिम)
3. मुख्यालय में सभी अपर सचिव।
4. संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय।
5. श्री अमृत लुगून, संयुक्त सचिव (ओई) एवं पीजीई, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. संयुक्त सचिव (विदेश मंत्री कार्यालय)/उप सचिव [विदेश राज्य मंत्री (वीकेएस)]।
7. उप सचिव (एफएसओ)।
8. निदेशक (एडीपी)/अवर सचिव (एफएसपी)/अवर सचिव (डीडी)।
9. विदेश स्थित सभी मिशन/केंद्र।
10. मुख्यालय में सभी अधिकारी और अनुभाग।

11. प्रशासनिक अधिकारी (टीएनएम), दूरभाष सूची को अद्यतन करने के लिए।
12. प्रशासनिक अधिकारी (पीए-I)/प्रशासनिक अधिकारी (पीए-II)/प्रशासनिक अधिकारी (पीए-III)।
13. पीओ (एक्स एम एम), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली- वेबसाइट को अद्यतन करने के लिए।
14. केंद्रीय रजिस्ट्री।
15. संबंधित अधिकारी की वैयक्तिक मिसिल।